अध्याय 5

सेवा कर

1994 के अधिनियम 32 का संशोधन।

143. वित्त अधिनियम, 1994 में,—

(क) धारा 65 के खंड (121) के अंत में आने वाले स्पष्टीकरण के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक उस तारीख से अंतःस्थापित किया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे, अर्थात् :—

"परंतु इस धारा के उपबंध उस तारीख से लागू नहीं होंगे, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।";

(ख) धारा 65क की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा उस तारीख से अंतःस्थापित की जाएगी, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे, अर्थात् :—

"(3) इस धारा के उपबंध उस तारीख से लागू नहीं होंगे, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।";

(ग) धारा 65क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा उस तारीख से अंतःस्थापित की जाएगी, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे, अर्थात् :—

निर्वचन।

'65ख. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "अनुयोज्य दावा" का वही अर्थ होगा, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 3 में उसका है ; 1882 का 4

(2) "विज्ञापन" से समाचारपत्र, टेलीविजन, रेडियो या किसी अन्य साधन के माध्यम से किसी घटना, विचार, स्थावर संपत्ति, व्यक्ति, सेवा, माल या अनुयोज्य दावे के संवर्धन के लिए या उनके बारे में जागरुकता लाने के लिए किसी प्रकार का संप्रदर्शन अभिप्रेत है, किंतु इसके अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से किया गया कोई संप्रदर्शन नहीं है ;

(3) "कृषि" से पौधों की खेती और घोड़ों के पालन-पोषण के सिवाय पशुओं के सभी सजीव रूपों का पालन पोषण, भोजन, फाइबर, ईंधन, कच्ची सामग्री या अन्य वैसे ही उत्पाद अभिप्रेत हैं ;

(4) "कृषि विस्तार" से कृषक शिक्षा या प्रशिक्षण के माध्यम से कृषि पद्धतियों में वैज्ञानिक अनुसंधान और ज्ञान का उपयोजन अभिप्रेत है ;

(5) "कृषि उपज" से ऐसी कोई उपज अभिप्रेत है, जिस पर न तो कोई और प्रसंस्करण किया जाता है या ऐसा प्रसंस्करण किया जाता है, जैसा प्रायः खेतिहर या उत्पादक द्वारा किया जाता है, जो उसकी अनिवार्य विशेषताओं को परिवर्तित नहीं करता है, किंतु उसे प्रमुख बाजार के लिए विपणनीय बना देता है ;

(6) "कृषि उपज विपणन समिति या बोर्ड" से कृषि उपज के विपणन को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य विधि के अधीन गठित कोई समिति या बोर्ड अभिप्रेत है ;

(7) "वायुयान" का वही अर्थ है, जो वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खंड (1) में उसका है ; 1934 का 22

(8) "विमानपत्तन" का वही अर्थ है, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 2 के खंड (ख) में उसका है ; 1994 का 55

(9) "आमोद सुविधा" से ऐसी सुविधा अभिप्रेत है जहां कोई आमोद पार्कों, आमोद तोरणिकाओं, वाटर पार्कों, थीम पार्कों या ऐसे अन्य स्थान में झूलों, खेल युक्तियों या गेंद वीथिकाओं के माध्यम से आमोद-प्रमोद और मनोरंजन किया जाता है किन्तु ऐसी सुविधा के अंतर्गत ऐसा कोई स्थल नहीं आता जहां अन्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं ;

(10) "अपील अधिकरण" से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129 के अधीन गठित सीमा- शुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण अभिप्रेत है ; 1962 का 52

(11) "अनुमोदित व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत है,—

(i) शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन अधिसूचित अभिहित व्यवसायों में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने वाली राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् से संबद्ध कोई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा चलाया गया कोई पाठ्यक्रम ; या 1961 का 52

(ii) नियोजन और प्रशिक्षण महानिदेशालय, संघ के श्रम और रोजगार मंत्रालय के पास रजिस्ट्रीकृत किसी व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा अनुमोदित मोड्युलर नियोजनीय कौशल पाठ्यक्रम ; या

(iii) भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से संबद्ध किसी संस्थान द्वारा चलाया जा रहा पाठ्यक्रम ;

(12) "निर्धारिती" से कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उसका अभिकर्ता भी है ;

1961 का 43 (13) "सहयोजित उद्यम" का वही अर्थ होगा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 92क में उसका है;

1999 का 42 (14) "विदेशी मुद्रा का प्राधिकृत व्यौहारी" का वही अर्थ होगा, जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ग) में "प्राधिकृत व्यक्ति" का है ;

(15) "दांव या द्यूत" से मूल्य वाली किसी वस्तु को, विशिष्ट रूप से धन को, जोखिम की बात को जानते हुए और लाभ की आशा से, किसी ऐसे खेल या किसी प्रतियोगिता के परिणाम पर दांव लगाना अभिप्रेत है, जिसका परिणाम भाग्य या संयोग द्वारा, या किसी बात के होने या न होने की संभावना पर अवधारित किया जाए;

1963 का 54 (16) "बोर्ड" से केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड अभिप्रेत है ;

(17) "कारबार अस्तित्व" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो साधारणतया उद्योग, वाणिज्य या किसी अन्य कारबार से संबंधित कोई क्रियाकलाप कर रहा है ;

1948 का 54 (18) "केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण" से विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

2003 का 36 (19) "केंद्रीय पारेषण उपयोगिता" का वही अर्थ है, जो विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 के खंड (10) में उसका है ;

(20) "कूरियर अभिकरण" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति की सेवाओं का, ऐसे दस्तावेज, माल या वस्तुएं वहन करने या उनके साथ जाने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपयोग करते समय संवेदी दस्तावेजों, माल या वस्तुओं को घर-घर जाकर परिदान करने में लगा हुआ है ;

1962 का 52 (21) "सीमाशुल्क स्टेशन" का वही अर्थ है, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 2 के खंड (13) में उसका है ;

(22) "घोषित सेवा" से किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रतिफल हेतु किया जाने वाला और धारा 66ङ के अधीन उस रूप में घोषित कोई क्रियाकलाप अभिप्रेत है ;

2003 का 36 (23) "विद्युत पारेषण या वितरण उपयोगिता" से विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन अधिसूचित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ; कोई राज्य विद्युत बोर्ड ; केंद्रीय पारेषण उपयोगिता या कोई राज्य पारेषण उपयोगिता ; या उक्त अधिनियम के अधीन कोई वितरण या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या कोई अन्य अस्तित्व अभिप्रेत है जिसे, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसा कृत्य सौंपा गया है;

(24) "मनोरंजन घटना" से ऐसी कोई घटना या प्रस्तुतीकरण अभिप्रेत है, जो चलचित्र फिल्म, सर्कस, संगीत समारोह, खेलकूद समारोह, शोभायात्रा, पुरस्कार समारोह, नृत्य प्रस्तुतीकरण, संगीत प्रस्तुतीकरण या थियेटर प्रस्तुतीकरण, जिसके अंतर्गत नाटक, बैले या कोई ऐसी घटना या कार्यक्रम भी है, द्वारा मनोरंजन प्रदान करने, समय व्यतीत करने, आमोद-प्रमोद या आनन्द प्रदान करने के लिए आशयित है ;

(25) "माल" से अनुयोज्य दावे और धन से भिन्न प्रत्येक किस्म की जंगम संपत्ति अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत प्रतिभूतियां, उगती फसलें, घास और भूमि से जुड़ी या उसके भागरूप वस्तुएं भी हैं, जिनके बारे में विक्रय के पूर्व या विक्रय संविदा के अधीन अलग करने का करार पाया जाए ;

(26) "माल परिवहन अभिकरण" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है और परेषण पत्र, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जारी करता है;

(27) ''भारत'' से अभिप्रेत है,—

(क) संविधान के अनुच्छेद 1 के खंड (2) और खंड (3) में यथानिर्दिष्ट संघ का राज्यक्षेत्र ;

(ख) राज्यक्षेत्रीय सागरखंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 में यथापरिभाषित राज्यक्षेत्रीय सागरखंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और कोई अन्य सामुद्रिक क्षेत्र ; 1976 का 80

(ग) राज्यक्षेत्रीय सागरखंड के नीचे समुद्री सतह और अवमृदा ;

(घ) उसके राज्यक्षेत्र और राज्यक्षेत्रीय सागरखंड के ऊपर का आकाशी क्षेत्र ; और

(ङ) खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के पूर्वेक्षण या निष्कर्षण या उत्पादन और उसके प्रदाय के प्रयोजनों के लिए, भारत की महाद्वीपीय मग्नतट भूमि और भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित प्रतिष्ठापन, अवसंरचनाएं तथा जलयान ;

(28) ''सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर'' से अनुदेशों, डाटा, ध्वनि या प्रतिमा का कोई रूपण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत ऐसा स्रोत कोड या वस्तुनिष्ठ कोड भी है, जो किसी मशीन में पठनीय रूप में रिकार्ड किया गया हो और जो हस्तप्रयोग किए जाने या उपयोगकर्ता को परस्पर-सक्रियता किसी कंप्यूटर या स्वचालित डाटा प्रसंस्करण मशीन या किसी अन्य युक्ति या उपस्कर के माध्यम में उपलब्ध कराने में समर्थ हो ;

(29) ''अंतर्देशीय जलमार्ग'' से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 2 के खंड (ज) में यथापरिभाषित राष्ट्रीय जलमार्ग या अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 की धारा 2 के खंड (ख) में यथापरिभाषित किसी अंतर्देशीय जल पर अन्य जलमार्ग अभिप्रेत है ; 1985 का 82 1917 का 1

(30) ''ब्याज'' का वही अर्थ है, जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (28क) में उसका है ; 1961 का 43

(31) ''स्थानीय प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है,—

(क) संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (घ) में यथानिर्दिष्ट कोई पंचायत ;

(ख) संविधान के अनुच्छेद 243त के खंड (ङ) में यथानिर्दिष्ट कोई नगरपालिका ;

(ग) कोई नगरपालिका समिति या कोई जिला बोर्ड जो किसी नगरपालिक या स्थानीय निधि के ऐसे नियंत्रण या प्रबंध के लिए विधिक रूप से हकदार है या जो उसे सरकार द्वारा सौंपा गया है ;

(घ) छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 3 में यथापरिभाषित कोई छावनी बोर्ड ; 2006 का 41

(ङ) संविधान की छठी अनुसूची के अधीन गठित कोई प्रादेशिक परिषद् या कोई जिला परिषद् ;

(च) संविधान के अनुच्छेद 371 के अधीन गठित कोई विकास बोर्ड ; या

(छ) संविधान के अनुच्छेद 371क के अधीन गठित कोई प्रादेशिक परिषद् ;

(32) ''मीटर वाली कैब'' से ऐसी कोई ठेका गाड़ी अभिप्रेत है, जिस पर राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा सुसंगत नियमों के अधीन अनुमोदित किस्म और बनावट की ऐसी स्वचालित युक्ति लगाई गई है जो किसी भी क्षण प्रभार्य किराए की रीडिंग उपदर्शित करती है और जो मोटर यान अधिनियम, 1988 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके परमिट की शर्तों के अधीन तदनुसार प्रभारित किया जाता है ; 1988 का 59

(33) ''धन'' से भारतीय वैध मुद्रा, चेक, वचनपत्र, विनिमयपत्र, प्रत्ययपत्र, ड्राफ्ट, संदाय आदेश, यात्री चेक, धनादेश, डाक या इलैक्ट्रानिक संप्रेषण या कोई ऐसी समान लिखत अभिप्रेत है जब उसका प्रयोग किसी बाध्यता को तय करने या किसी अन्य अभिधान की भारतीय वैध मुद्रा में परिवर्तित करने के लिए प्रतिफल के रूप में किया जाता है, किंतु इसके अंतर्गत ऐसी कोई करेंसी नहीं होगी, जो उसके मौद्रिक मूल्य के लिए धारित की गई है;

(34) ''नकारात्मक सूची'' से ऐसी सेवाएं अभिप्रेत हैं, जो धारा 66घ के अधीन सूचीबद्ध हैं ;

(35) ''अकराधेय राज्यक्षेत्र'' से ऐसा राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है जो कराधेय राज्यक्षेत्र से बाहर है ;

(36) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है, और ''अधिसूचित करना'' तथा ''अधिसूचित'' पदों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(37) "व्यक्ति" के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—

(i) व्यष्टि,

(ii) हिंदू अविभक्त कुटुंब,

(iii) कंपनी,

(iv) सोसाइटी,

(v) सीमित दायित्व भागीदारी,

(vi) फर्म,

(vii) व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं,

(viii) सरकार,

(ix) स्थानीय प्राधिकारी, या

(x) प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो पूर्ववर्ती किसी भी उपखंड के भीतर नहीं आता है ;

1963 का 38 (38) "पत्तन" का वही अर्थ है जो महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 2 के खंड (थ) में या भारतीय
1908 का 15 पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 3 के खंड (4) में उसका है ;

(39) "विहित" से इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(40) "माल के विनिर्माण या उत्पादन की कोटि में आने वाली प्रक्रिया" से ऐसी प्रक्रिया, जिस पर केंद्रीय
1944 का 1 उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 के अधीन उत्पाद-शुल्क उद्ग्रहणीय है या मानव उपभोग के लिए एल्कोहली लिकर, अफीम, भारतीय हैम्प और अन्य स्वापक ओषधियों और स्वापक वस्तुओं के निर्माण कोटि में आने वाली कोई प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिस पर उत्पाद-शुल्क तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय है ;

(41) "किराए पर देना" से किसी स्थावर संपत्ति तक पहुंच, उसमें प्रवेश, उसके अधिभोग, उपयोग या किसी ऐसी सुविधा को, उक्त स्थावर संपत्ति के कब्जे या नियंत्रण का अंतरण करके या उसके बिना पूर्णतः या भागतः अनुज्ञात करना, उसकी अनुमति देना या मंजूरी प्रदान करना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत स्थावर संपत्ति के संबंध में किराए पर देना, पट्टे पर देना, अनुज्ञप्ति पर देना या इसी प्रकार के अन्य ठहराव करना भी है ;

1934 का 2 (42) "भारतीय रिजर्व बैंक" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अधीन स्थापित बैंक अभिप्रेत है ;

1956 का 42 (43) "प्रतिभूतियां" का वही अर्थ है जो उसका प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में उसका है ;

(44) "सेवा" से किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रतिफल हेतु किया गया कोई क्रियाकलाप अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई घोषित सेवा भी है, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं होंगे,—

(क) ऐसा कोई क्रियाकलाप, जिससे मात्र,—

(i) माल या स्थावर संपत्ति में विक्रय द्वारा, दान के रूप में या किसी अन्य रीति में हक के अंतरण का गठन होता है ; या

(ii) धन या अनुयोज्य दावे के संव्यवहार का गठन होता है ;

(ख) किसी कर्मचारी द्वारा नियोजक को उसके नियोजन के प्रक्रम में या उसके संबंध में सेवा का कोई उपबंध ;

(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित किसी न्यायालय या अधिकरण में ली गई कोई फीस।

स्पष्टीकरण 1 —शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी,—

(अ) ऐसे संसद् सदस्यों, राज्य विधान-मंडल के सदस्यों, पंचायतों के सदस्यों, नगरपालिका के सदस्यों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के सदस्यों द्वारा, जो ऐसे सदस्य के रूप में उस पद के कृत्यों का पालन करने में कोई प्रतिफल प्राप्त करते हैं, पालन किए गए कृत्य ; या

(आ) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो संविधान के उपबंधों के अनुसरण में उस हैसियत में कोई पद धारण करता है, पालन किए गए कर्तव्य ; या

(इ) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित किसी निकाय में अध्यक्ष या किसी सदस्य या निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा, जिसे इस धारा के प्रारंभ से पूर्व किसी कर्मचारी के रूप में नहीं समझा जाता है, पालन किए गए कर्तव्य;

स्पष्टीकरण 2—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,—

(क) यथास्थिति, किसी अनिगमित संगम या व्यक्ति-निकाय और उसके किसी सदस्य को, सुभिन्न व्यक्ति समझा जाएगा ;

(ख) कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति के स्थापन और किसी अकराधेय राज्यक्षेत्र में उसके किसी अन्य स्थापन को सुभिन्न व्यक्तियों का स्थापन समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण 3—किसी राज्यक्षेत्र में किसी शाखा या अभिकरण या प्रतिनिधिक कार्यालय के माध्यम से कारबार करने वाले व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसका उस राज्यक्षेत्र में कोई स्थापन है ।

(45) ''विशेष आर्थिक जोन'' का वही अर्थ है, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यक) में उसका है ; 2005 का 28

(46) ''मंजिली गाड़ी'' का वही अर्थ है, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (40) में उसका है ; 1988 का 59

(47) ''राज्य विद्युत बोर्ड'' से विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है; 1948 का 54

(48) ''राज्य पारेषण उपयोगिता'' का वही अर्थ है, जो विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 के खंड (67) में उसका है ; 2003 का 36

(49) ''सहायक सेवाओं'' से अवसंरचना संबंधी, प्रचालन संबंधी, प्रशासनिक, संभार तंत्र संबंधी, विपणन या किसी प्रकार की कोई अन्य सहायता अभिप्रेत है, जिसमें वे कृत्य हैं जो वह अस्तित्व प्रचालन के सामान्य अनुक्रम में स्वयं करते हैं किंतु जिन्हें वे किसी भी प्रकार के कारण से, दूसरों से आऊटसोर्सिंग करके सेवाओं के रूप में अभिप्राप्त कर सकते हैं और इसके अंतर्गत विज्ञापन और संवर्धन, सन्निर्माण या संकर्म संविदा, स्थावर संपत्ति को किराए पर देना, सुरक्षा, परीक्षण और विश्लेषण भी आएगा;

(50) ''कर'' से इस अध्याय के उपबंधों के अधीन उद्ग्रहणीय सेवा कर अभिप्रेत है ;

(51) ''कराधेय सेवा'' से ऐसी कोई सेवा अभिप्रेत है, जिस पर धारा 66ख के अधीन सेवा कर उद्ग्रहणीय है;

(52) ''कराधेय राज्यक्षेत्र'' से ऐसा राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है, जिसको इस अध्याय के उपबंध लागू होते हैं ;

(53) ''जलयान'' का वही अर्थ है, जो महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 2 के खंड (य) में उसका है ; 1963 का 38

(54) ''संकर्म संविदा'' से ऐसी संविदा अभिप्रेत है, जिसमें ऐसी संविदा के निष्पादन में अंतर्वलित माल में संपत्ति का अंतरण माल के विक्रय के रूप में कर से उद्ग्रहणीय है और ऐसी संविदा भूमि पर किसी भवन या संरचना के निर्माण, परिनिर्माण, सन्निर्माण कार्य आरंभ करने, अधिष्ठापन, पूर्ण करने, फिटिंग, सुधार, मरम्मत, नवीकरण, परिवर्तन करने के प्रयोजन के लिए या भूमि पर किसी भवन या संरचना के संबंध में उसी प्रकार का कोई अन्य क्रियाकलाप या उसका कोई भाग करने के लिए है ;

(55) वे शब्द और पद, जो इस अध्याय में प्रयुक्त किए गए हैं, किंतु परिभाषित नहीं किए गए हैं और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित किए गए हैं, जहां तक हो सके, सेवा कर के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी उत्पाद-शुल्क के संबंध में लागू होते हैं ; 1944 का 1

(घ) धारा 66 में निम्नलिखित परंतुक, उस तारीख से अंतःस्थापित किया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे, अर्थात् :—

''परंतु इस धारा के उपबंध उस तारीख से लागू नहीं होंगे, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे ।'';

(ङ) धारा 66क की उपधारा (2) के अंत में आने वाले स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा, उस तारीख से अंतःस्थापित की जाएगी, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे, अर्थात् :—

"(3) इस धारा के उपबंध उस तारीख से लागू नहीं होंगे, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे ।';

(च) धारा 66क के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं, उस तारीख से अंतःस्थापित की जाएंगी, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे, अर्थात् :—

वित्त अधिनियम, 2012 के प्रवृत्त होने की तारीख को और उसके पश्चात् सेवा कर का प्रभार ।

"66ख. कराधेय राज्यक्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को प्रदान की गई या प्रदान किए जाने के लिए करार पाई गई सभी सेवाओं के, उन सेवाओं से भिन्न जो नकारात्मक सूची में विनिर्दिष्ट हैं, मूल्य पर बारह प्रतिशत की दर से कर (जिसे इसमें इसके पश्चात् सेवा कर कहा गया है) उद्गृहीत किया जाएगा और उस रीति में संगृहीत किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

सेवा के उपबन्ध के स्थान का अवधारण।

66ग. (1) केंद्रीय सरकार, विभिन्न सेवाओं की प्रकृति और वर्णन को ध्यान में रखते हुए, इस बारे में बनाए गए नियमों द्वारा उस स्थान का अवधारण कर सकेगी जहां सेवाएं प्रदान की जाती हैं या प्रदान की गई समझी गई हैं या प्रदान किए जाने के लिए करार पाई गई हैं या प्रदान किए जाने के लिए करार पाई गई समझी गई हैं ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाया गया कोई नियम मात्र इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगा कि सेवा प्रदाता या सेवा प्रापक या दोनों, ऐसे स्थान में अवस्थित हैं, जो कराधेय राज्यक्षेत्र से बाहर है ।

सेवाओं की नकारात्मक सूची।

66घ. नकारात्मक सूची में निम्नलिखित सेवाएं समाविष्ट होंगी, अर्थात् :—

(क) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवाएं, निम्नलिखित सेवाओं को उस सीमा तक, जहां तक वे और कहीं नहीं आती हैं, छोड़कर —

(i) डाक विभाग द्वारा सरकार से भिन्न किसी व्यक्ति को प्रदान की गई स्पीड पोस्ट, एक्सप्रैस पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा के रूप में सेवाएं और अभिकरण सेवाएं ;

(ii) किसी पत्तन या विमान पत्तन की प्रसीमाओं के भीतर या बाहर किसी वायुयान या किसी जलयान के संबंध में सेवाएं ;

(iii) माल या यात्रियों का परिवहन ; या

(iv) कारबार अस्तित्वों को, ऊपर खंड (i) से खंड (iii) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं से भिन्न, प्रदान की गई सहायक सेवाएं ;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी सेवाएं ;

(ग) भारत में अवस्थित किसी विदेशी राजनयिक मिशन द्वारा सेवाएं ;

(घ) निम्नलिखित के रूप में कृषि से संबंधित सेवाएं,—

(i) खेती, फसल, खलिहान, वनस्पति संरक्षण या बीज परीक्षण सहित किसी कृषि उपज के उत्पादन से सीधे संबंधित कृषि कार्य ;

(ii) फार्म श्रमिक का प्रदाय ;

(iii) किसी कृषि फर्म में की गई संक्रियाएं, जिनके अंतर्गत देखभाल, छंटाई, जुताई, फसल काटना, सुखाना, सफाई करना, कतरना, धूप में सुखाना, धूमन, सहेजना, सोर्टिंग, श्रेणीकरण, प्रशीतन या प्रपुंज पैंकिग और ऐसे ही सामान्य कार्य, जो कृषि उपज की अनिवार्य विशेषता को परिवर्तित नहीं करते हैं, किंतु उसे प्रमुख बाजार के लिए केवल विपणनीय बना देते हैं ;

(iv) कृषि मशीनरी या खाली भूमि को, उसके उपयोग के लिए संलग्न किसी संरचना के साथ या उसके बिना, किराए पर देना ;

(v) कृषि उत्पाद की लदाई, उतराई, पैक करना, भंडारण और भांडागारण ;

(vi) कृषि विस्तार सेवाएं ;

(vii) किसी कृषि उत्पाद विपणन समिति या बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं या कमीशन अभिकर्ता द्वारा कृषि उत्पाद के विक्रय या क्रय के लिए सेवाएं ;

(ङ) माल का लेन-देन ;

(च) कोई संक्रिया, जो माल के निर्माण या उत्पादन की कोटि में आती है ;

(छ) रेडियो या टेलीविजन द्वारा विज्ञापन प्रसारित करने से भिन्न विज्ञापन संबंधी स्थान या समय-स्लाट का विक्रय ;

(ज) किसी सड़क या पुल पर पथ-कर प्रभार के संदाय पर पहुंच के रूप में सेवा ;

(झ) दांव, द्यूत या लाटरी ;

(ञ) मनोरंजन संबंधी खेलों में प्रवेश या आमोद संबंधी सुविधाओं तक पहुंच ;

(ट) विद्युत पारेषण या वितरण उपयोक्ता द्वारा विद्युत का पारेषण या वितरण ;

(ठ) निम्नलिखित के रूप में सेवाएं—

(i) विद्यालय पूर्व शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक की या समतुल्य शिक्षा ;

(ii) शिक्षा जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा मान्यताप्राप्त अर्हता अभिप्राप्त करने के लिए एक विहित पाठ्यक्रम के भागरूप हो ;

(iii) शिक्षा, जो किसी अनुमोदित व्यावसायिक शिक्षण पाठ्यक्रम के भागरूप हो ;

(ड) निवास के रूप में उपयोग के लिए किसी निवास-स्थान को किराए पर देने सम्बन्धी सेवाएं;

(ढ) निम्नलिखित के रूप में सेवाएं,—

(i) जहां तक प्रतिफल, ब्याज या डिस्काउंट के रूप में होता है, निक्षेप, उधार या अग्रिम देना ;

(ii) ऐसे बैंकों या विदेशी विनिमय के उन प्राधिकृत व्यौहारियों के बीच, या बैंकों और ऐसे व्यौवहारियों के बीच विदेशी करेंसी का परस्पर क्रय या विक्रय ;

(ण) निम्नलिखित द्वारा यात्रियों के साथ ले जा रहे सामान के साथ या उसके बिना अभिवहन की सेवा,—

(i) किसी मंजिली गाड़ी द्वारा ;

(ii) रेल द्वारा निम्नलिखित से भिन्न किसी श्रेणी में, —

(अ) प्रथम श्रेणी ; या

(आ) वातानुकूलित कोच ;

(iii) मेट्रो, मोनोरेल या ट्राम द्वारा ;

(iv) अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा ;

(v) पन्द्रह टन से कम शुद्ध भार के किसी जलयान में मुख्यतया पर्यटन प्रयोजन से भिन्न सार्वजनिक परिवहन द्वारा ; और

(vi) मीटर वाली कैब, रेडियो-टैक्सी या आटो रिक्शा द्वारा ;

(त) माल के अभिवहन के रूप में सेवाएं—

(i) (अ) किसी माल अभिवहन अभिकरण ; या

(आ) कूरियर अभिकरण,

के सिवाय, सड़क द्वारा ;

(ii) भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में उतराई के प्रथम सीमाशुल्क स्टेशन पर किसी वायुयान या जलयान द्वारा ;

(iii) अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा ;

(थ) अंत्येष्टि, कब्रस्थान, शवदाहगृह या शवगृह सेवाएं, जिसके अंतर्गत मृतक का अभिवहन भी है ।"।

घोषित सेवाएं।

66ङ. निम्नलिखित से घोषित सेवाओं का गठन किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) स्थावर संपत्ति को किराए पर देना ;

(ख) किसी काम्प्लेक्स, भवन, सिविल संरचना या उसके किसी भाग का सन्निर्माण, जिसके अंतर्गत ऐसा कोई काम्प्लेक्स या भवन भी है, जिसका पूर्णतया या भागतः क्रेता को विक्रय किया जाना आशयित है, सिवाय उस दशा के, जहां कि संपूर्ण प्रतिफल सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य पूरा होने संबंधी प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात् प्राप्त किया जाता है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए —

(I) "सक्षम प्राधिकारी" पद से ऐसी सरकार या कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्य पूरा होने संबंधी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है और ऐसे प्राधिकारी से ऐसे प्रमाणपत्र की अपेक्षा न होने की दशा में निम्नलिखित में से कोई अभिप्रेत है, अर्थात् :—

(अ) वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन गठित वास्तुविद् परिषद् में रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद् ; या 1972 का 20

(आ) इंजीनियर संस्था (भारत) में रजिस्ट्रीकृत चार्टरित इंजीनियर ; या

(इ) नगर या शहर या ग्राम या विकास या योजना प्राधिकरण के संबंधित स्थानीय निकाय का अनुज्ञप्त सर्वेक्षक ।

(II) ''सन्निर्माण'' पद के अंतर्गत किसी विद्यमान सिविल ढांचे की बाबत किए गए परिवर्धन, परिवर्तन, प्रतिस्थापन या पुनः प्रतिरूपण भी हैं ;

(ग) किसी बौद्धिक संपदा अधिकार का अस्थायी अंतरण या उसका उपयोग या अधिभोग अनुज्ञात करना ;

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर का विकास, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, अनुकूलन, उन्नयन, वृद्धिकरण, कार्यान्वयन ;

(ङ) किसी कार्य से विरत रहने की बाध्यता के या किसी कार्य या परिस्थिति को सहन करने या किसी कार्य को करने या किसी कार्य को करने से प्रविरत रहने के प्रति सहमत होना ;

(च) किराए पर, पट्टे पर, अनुज्ञप्ति देकर या ऐसे माल के उपयोग के अधिकार का अंतरण किए बिना ऐसी किसी रीति में माल का अंतरण ;

(छ) अवक्रय पर या किस्तों द्वारा भुगतान की किसी पद्धति द्वारा माल के परिदान से संबंधित क्रियाकलाप ;

(ज) किसी संकर्म संविदा के निष्पादन में सेवा का प्रभाग;

(झ) किसी ऐसे क्रियाकलाप में का सेवा प्रभाग जिसमें माल का, जो खाद्य वस्तु या मानव उपभोग की कोई अन्य वस्तु या कोई पेय (चाहे मादक पेय हो या नहीं) हो, क्रियाकलाप के भाग रूप किसी रीति में प्रदाय किया जाता है ।

सेवाओं या समूहबद्ध सेवाओं के विनिर्दिष्ट वर्णनों का निर्वचन करने के सिद्धान्त।

66च. (1) जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, किसी सेवा के प्रतिनिर्देश (जिसे इसमें इसके पश्चात् मुख्य सेवा कहा गया है) के अंतर्गत ऐसी सेवा के प्रतिनिर्देश नहीं आएगा, जिसका उपयोग मुख्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है ।

(2) जहां किसी सेवा को, उसके वर्णन के आधार पर किसी प्रयोजन के लिए सुभिन्न रूप से बरता जा सकता है, वहां अत्यंत विनिर्दिष्ट वर्णन को अति सामान्य वर्णन पर अधिमान दिया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समूहबद्ध सेवाओं की कराधेयता का निम्नलिखित रीति में अवधारण किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) यदि ऐसी सेवा के विभिन्न तत्त्व कारबार के सामान्य अनुक्रम में सहजरूप से समूहबद्ध कर दिए जाते हैं, तो उसे एकल सेवा का उपबंध माना जाएगा, जिससे उसका अनिवार्य स्वरूप प्रकट होता है;

(ख) यदि ऐसी सेवा के विभिन्न तत्त्व कारबार के सामान्य अनुक्रम में सहजरूप से समूहबद्ध नहीं कर दिए जाते हैं, तो उसे एकल सेवा का उपबंध माना जाएगा, जिसकी परिणति सेवा कर के उच्चतम दायित्व में होती है ।

स्पष्टीकरण—उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए, ''समूहबद्ध सेवा'' से विभिन्न सेवाओं का उपबंध अभिप्रेत है, जिसमें सेवाओं के एकल सेवा के उपबंध के तत्त्व को किसी अन्य सेवा या सेवाओं के अन्य उपबंध के तत्त्व या तत्त्वों से मिला दिया जाता है ।';

(छ) धारा 67 के स्पष्टीकरण में, खंड (ख) का उस तारीख से लोप किया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे ;

(ज) धारा 67 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कर की दर, कराधेय सेवा के मूल्य और विनिमय दर के अवधारण की तारीख।

'67क. सेवा कर की दर, कराधेय सेवा का मूल्य और विनिमय दर, यदि कोई हो, उस समय, जब कराधेय सेवाओं को उपलब्ध कराया गया है या उपलब्ध कराए जाने के लिए करार पाया गया है, प्रवृत्त या यथा लागू, यथास्थिति, सेवा कर की दर या कराधेय सेवा का मूल्य या विनिमय दर होगी।

1962 का 52

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''विनिमय दर'' से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट विनिमय दर अभिप्रेत है ।';

(झ) धारा 68 की उपधारा (2) में, उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे,—

(i) ''अधिसूचित कराधेय सेवा'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसी कराधेय सेवा, जो अधिसूचित की जाए,'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''परंतु केंद्रीय सरकार, उस सेवा और सेवा कर की सीमा को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय होगा और इस अध्याय के उपबंध ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार विनिर्दिष्ट सीमा तक लागू होंगे और सेवा कर का शेष भाग सेवा प्रदाता द्वारा संदत्त किया जाएगा ।'';

(ञ) धारा 72 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

विशेष संपरीक्षा।

'72क. (1) यदि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त का यह विश्वास करने का कारण है कि सेवा कर के संदाय के लिए दायी कोई व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'ऐसा व्यक्ति' कहा गया है)—

(i) कराधेय सेवा का मूल्य सही रूप से घोषित करने या अवधारित करने में असफल रहा है ; या

(ii) उसने संदत्त ऐसे शुल्क या कर प्रत्यय का,—

(क) लाभ उठाया है और उपयोग किया है, जो उपलब्ध कराई गई कराधेय सेवा की प्रकृति, प्रयुक्त पूंजी माल की सीमा या निवेशों या प्रयुक्त निवेश सेवाओं की किस्म को या किन्हीं अन्य सुसंगत कारकों को, जो वह उपयुक्त समझे, ध्यान में रखते हुए सामान्य सीमाओं के भीतर नहीं है; या

(ख) कपट, दुरभिसंधि या जानबूझकर कोई मिथ्या कथन करके या तथ्यों को छिपाकर लाभ उठाया गया है या उपयोग किया गया है ; या

(iii) उसने अनेक अवस्थानों में अपनी संक्रियाओं का प्रसार किया है और उक्त आयुक्त की अधिकारिता के अधीन आने वाले रजिस्ट्रीकृत परिसरों से उसके लेखाओं की सही और संपूर्ण जानकारी अभिप्राप्त करना संभाव्य या साध्य नहीं है,

तो वह ऐसे व्यक्ति को अपने लेखाओं की उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल से उस सीमा तक और ऐसी अवधि तक के लिए, जो आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, संपरीक्षा कराए जाने का निदेश दे सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल उक्त आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, उसके द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और प्रमाणित रिपोर्ट उक्त आयुक्त को, उसमें ऐसी अन्य विशिष्टियों का, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, वर्णन करते हुए प्रस्तुत करेगा ।

(3) उपधारा (1) के उपबंधों का इस बात के होते हुए भी यह प्रभाव होगा कि ऐसे व्यक्ति के लेखाओं की तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षा करा ली गई है ।

(4) कर का संदाय करने के लिए दायी ऐसे व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन संपरीक्षा के आधार पर एकत्र की गई की बाबत और इस अध्याय या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन किसी कार्यवाही में उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी सामग्री की बाबत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "चार्टर्ड अकाउंटेंट" का वही अर्थ होगा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में उसका है ; 1949 का 38

(ii) "लागत लेखापाल" का वही अर्थ होगा, जो लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में उसका है ।' ; 1959 का 23

(ट) धारा 73 में,—

(i) "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "अठारह मास" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, उस उपधारा के अधीन तामील की गई किसी सूचना या सूचनाओं के पश्चात्, एक विवरण, जिसमें पश्चात्वर्ती अवधि के लिए उद्गृहीत न किया गया या संदत्त न किए गए या कम उद्गृहीत या कम संदत्त या भूलवश प्रतिदत्त सेवा कर के ब्यौरे हों, सेवा कर से प्रभार्य व्यक्ति पर तामील कर सकेगा, तब ऐसे विवरण की तामील को उस व्यक्ति पर सूचना की इस शर्त के अधीन रहते हुए तामील किया गया समझा जाएगा कि पश्चात्वर्ती अवधि के संबंध में जिन आधारों का अवलंब लिया गया है, वे पूर्ववर्ती सूचनाओं में वर्णित के समान हैं ।";

(iii) उपधारा (4क) में, "उपधारा (3) और उपधारा (4)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "उपधारा (4)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ठ) धारा 80 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) धारा 76 या धारा 77 या धारा 78 के उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, तारीख 6 मार्च, 2012 को, धारा 65 के खंड (105) के उपखंड (ययययय) में निर्दिष्ट कराधेय सेवा पर संदेय सेवा कर का संदाय करने में असफल रहने के लिए कोई शास्ति इस शर्त के अधीन रहते हुए अधिरोपणीय नहीं होगी कि सेवा कर की रकम का ब्याज सहित, उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2012 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर पूर्णतः संदाय कर दिया जाता है ।";

(ड) धारा 83 में, "12ङ, 14, 14कक, 15, 33क, 34क, 35च" अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "12ङ, 14, 15, 31, 32, 32क से 35त (दोनों सहित), 33क, 34क, 35ङङ, 35च" अंक, अक्षर, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ढ) धारा 85 में,—

(i) उपधारा (3) में, "विनिश्चय या आदेश की" शब्दों के पश्चात्, "जो उस तारीख के, जिसको वित्त विधेयक, 2012 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, पूर्व किया जाता है," शब्द और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3क) इस अध्याय के अधीन सेवा कर, ब्याज या शास्ति से संबंधित कोई अपील ऐसे न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश की, जो उस तारीख को या उसके पश्चात्, जिसको वित्त विधेयक, 2012 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर प्रस्तुत की जाएगी:

परंतु यदि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त (अपील) का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी दो मास की पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था तो वह उसे एक मास की और अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।";

(ण) धारा 86 में,—

(i) उपधारा (1) में "ऐसे आदेश के विरुद्ध" शब्दों के पश्चात् "उस आदेश के प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) उपधारा (2) या उपधारा (2क) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से चार मास के भीतर फाइल की जाएगी, जिसको वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील किए जाने की ईप्सा की गई है, यथास्थिति, मुख्य आयुक्तों की समिति या आयुक्तों की समिति द्वारा प्राप्त किया जाता है ।";

(त) धारा 88 में, "शुल्क," शब्द के स्थान पर, "कर," शब्द रखा जाएगा ;

(थ) धारा 89 की उपधारा (1) के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड उस तारीख से रखा जाएगा, जिसको वित्त विधेयक, 2012 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, अर्थात् :—

"(क) इस अध्याय के अधीन सेवा कर का संदाय करने में जानबूझकर अपवंचन करता है ; या";

(द) धारा 93क में, "प्रसंस्करण के लिए" शब्दों के स्थान पर, "प्रसंस्करण या हटाए जाने या निर्यात के लिए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ध) धारा 93क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 93ख का अंतःस्थापन।

"93ख. धारा 94 के अधीन बनाए गए और कराधेय सेवाओं को लागू होने वाले सभी नियम किसी अन्य सेवा को भी लागू होंगे जहां तक वे अंतःनिवेशों और अंतःनिवेश सेवाओं पर संदत्त किसी कर दायित्व, प्रतिदाय, सेवा कर या शुल्कों के क्रेडिट का अवधारण करने या वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए सुसंगत हैं ।"; धारा 94 के अधीन बनाए गए नियमों का कराधेय सेवाओं से भिन्न सेवाओं को लागू होना।

1994 का 32

(न) धारा 94 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ङङ) का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (जजज) में, "सेवा कर की दर" शब्दों के स्थान पर "धारा 66ग के अधीन सेवा कर की दर" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (झ) को खंड (ट) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःअक्षरांकित खंड (ट) के पूर्व, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(झ) अपराधों के प्रशमन के लिए संदत्त की जाने वाली रकम और प्रशमन की रीति का उपबंध ;

1944 का 1

(ञ) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के अध्याय 5 में धारा 31, धारा 32, धारा 32क से धारा 32त (दोनों सहित) के अनुसार, जो धारा 83 द्वारा सेवा कर को लागू की गई हैं, मामलों का निपटारा करने के लिए उपबंध ;";

(प) धारा 95 की उपधारा (1ज) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

1994 का 32

"(1झ) यदि वित्त अधिनियम, 2012 की धारा 143 को, जहां तक यह वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 में धारा 65ख, धारा 66ख, धारा 66ग, धारा 66घ, धारा 66ङ और धारा 66च के अंतःस्थापन के संबंध में है, प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अध्याय के उपबंधों से असंगत न हो, ऐसे उपबंध, उस तारीख से, जिसके अंतर्गत भूतलक्षी तारीख से, जो वित्त अधिनियम, 2012 के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व की तारीख न हो, प्रभाव देने की शक्ति भी है, कर सकेगी, जो कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हों:

परंतु ऐसा कोई आदेश इन उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।";

(फ) धारा 96ग की उपधारा (2) के खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) इस बारे में बनाए गए नियमों के निबंधनों के अनुसार शुल्क या कर प्रत्यय की ग्राह्यता ;";

नई धारा 97 और धारा 98 का अन्तः-स्थापन।

(ब) धारा 96ञ के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

सड़कों के प्रबंधन आदि से संबंधित कतिपय मामलों में छूट के लिए विशेष उपबंध।

"97. (1) धारा 66 में किसी बात के होते हुए भी, 16 जून, 2005 से 26 जुलाई, 2009 तक (जिसमें ये दोनों दिन भी हैं) की अवधि के दौरान सड़कों के प्रबंधन, अनुरक्षण या मरम्मत की बाबत कोई सेवा कर उद्‌गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा ।

(2) ऐसे सभी सेवा कर का प्रतिदाय किया जाएगा, जो संगृहीत किया गया है, किंतु इस प्रकार संगृहीत नहीं किया गया होता, यदि उपधारा (1) सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त होती ।

(3) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, सेवा कर के प्रतिदाय के दावे के लिए कोई आवेदन उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2012 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

गैर-वाणिज्यिक सरकारी भवनों के प्रबन्धन आदि से संबंधित कतिपय मामलों में छूट के लिए विशेष उपबंध।

98. (1) धारा 66 में किसी बात के होते हुए भी, 16 जून, 2005 से ही उस तारीख तक, जिसको धारा 66ख प्रवृत्त होती है, की अवधि के दौरान गैर-वाणिज्यिक सरकारी भवनों के प्रबंधन, अनुरक्षण या मरम्मत की बाबत कोई सेवा कर उद्‌गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा ।

(2) ऐसे सभी सेवा कर का प्रतिदाय किया जाएगा, जो संगृहीत किया गया है, किंतु इस प्रकार संगृहीत नहीं किया गया होता, यदि उपधारा (1) सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त होती ।

(3) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, सेवा कर के प्रतिदाय के दावे के लिए कोई आवेदन उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2012 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।"।

केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 6 का संशोधन।

1944 का 1

144. (1) केंद्रीय सरकार द्वारा, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 में, केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय (संशोधन) नियम, 2011 के, जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 134(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं, नियम 5 के खंड (ix) द्वारा यथा अंतःस्थापित नियम 6 का उपनियम (6क), आठवीं अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रीति में, उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से ही, उस अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट नियम के प्रति संशोधित हो जाएगा और भूतलक्षी रूप से संशोधित किया गया समझा जाएगा ।

(2) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) द्वारा यथा संशोधित उपबंधों के संबंध में 10 फरवरी, 2006 से ही की गई कोई कार्रवाई या कोई बात या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या कोई बात सभी प्रयोजनों के लिए उसी रूप में विधिमान्य और प्रभावी रूप से की गई समझी जाएगी और सदैव से की गई समझी जाएगी, मानो उपधारा (1) द्वारा किए गए संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त थे ।

1944 का 1

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार को भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति होगी और यह समझा जाएगा कि उसे उसी रूप में शक्ति प्राप्त है मानो केंद्रीय सरकार को केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 37 के अधीन भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति सभी तात्त्विक समयों पर प्राप्त थी ।

1994 का 32

किसी परियोजना के सम्बन्ध में सहकारी सोसाइटियों सहित क्लब या संगम को दी गई छूट का विधिमान्यकरण।

145. (1) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 566(अ), तारीख 25 जुलाई, 2011, जिसके द्वारा किसी क्लब या किसी संगम द्वारा, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटियां भी हैं, परियोजना के संबंध में प्रदान की गई उक्त अधिनियम की धारा 65 के खंड (105) के उपखंड (यययड) में निर्दिष्ट क्लब या संगम सेवा पर उक्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन उद्ग्रहणीय संपूर्ण सेवा कर से छूट प्रदान की गई है, सभी प्रयोजनों के लिए सभी तात्त्विक समयों पर 16 जून, 2005 से ही विधिमान्य रूप से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी और सदैव से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

(2) ऐसे सभी सेवा कर का प्रतिदाय किया जाएगा, जो संगृहीत किया गया है, किन्तु जो इस प्रकार उस दशा में संगृहीत न किया गया होता यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त होती ।

1994 का 32

(3) वित्त अधिनियम, 1994 में किसी बात के होते हुए भी, सेवा कर के प्रतिदाय के दावे के लिए कोई आवेदन उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2012 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास के भीतर किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि,—

(i) परियोजना से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से बहिःस्राव और ठोस अपशिष्ट के उपचार और पुनःचक्रण के लिए गठित समान सुविधा अभिप्रेत है ;

1944 का 1

(ii) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ख के उपबंध इस धारा के अधीन प्रतिदायों की दशा में लागू होंगे ।